

भालूबासा में नई दुकानों के आवंटन के लिए 50 में से 20 लाभुकों का चयन हुआ



भालूबासा में दुकानों का आवंटन : अब तक आए 50 आवेदनों में से 5 सदस्यीय जांच टीम ने 20 को सही पाया 20 सही आवेदन को लेकर किन्हीं को आपत्ति हो तो 2 दिनों के भीतर (13 व 14 अगस्त तक) दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं

कमिटी द्वारा चिन्हित योग्य लाभुकों की सूची

जमशेदपुर : सड़क चौड़ीकरण के दौरान भालूबासा चौक में तोड़ी गई दुकानों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भालूबासा चौक, जम्हो हनुमान मंदिर के सामने बनाये गए 53 दुकानों आवंटित की जानी है। अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मोणा द्वारा जानकारी दी गई कि दुकान आवंटन हेतु कुल 50 इच्छुक लोगों के आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं उन्होंने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी सविता टोपनो के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय टीम जिनमें इंजीनियर, जुस्को के प्रतिनिधि शामिल थे उन्होंने आवेदनकर्ताओं के घर-घर जाकर कागजातों की जांच पड़ताल किया इस दौरान आवेदनकर्ताओं का वीडियो ग्राफी करते हुए स्टेटमेंट लिया गया साथ ही लिखित बयान

- ठर्मिला देवी, पति- विवेक गोराई (सब्जी दुकान)
- सत्येंद्र रजक, पिता- रामदास रजक (आंटी किचेन)
- नरेश मुखी, पिता- स्व. शिवचरण मुखी (मुर्गा दुकान)
- माडरु मुखी, पिता बसन्त मुखी (चाय-पकौड़ा दुकान)
- जितेंद्र रजक/ओझा, पिता स्व. रामदास रजक (इस्त्री दुकान)
- राजू मुखी, पिता स्व. सुनील मुखी (मुर्गा दुकान)
- बबलू रजक, पिता ईश्वरी रजक (चौमोन दुकान)
- काजल भट्टाचार्य, पिता स्व. पन्ना लाल भट्टाचार्य (मनिहारी दुकान)
- ईश्वरी रजक, पिता- स्व. पलटन रजक (भूंजा दुकान)
- जोटीया मुखी, पिता बसन्त मुखी (पान दुकान)
- कल्लू मुखी, पिता स्व. सोलेन मुखी (साउथ इंडियन डिश)
- पूरन चन्द्र कैवर्त, पिता जलंधर कैवर्त (मछली दुकान)
- प्रह्लाद ठाकुर, पिता रामध्यान ठाकुर (शांति निकेतन सैलून)
- मदन पाल, पिता गुनाधर पाल (साइकिल रिपेयरिंग)
- गणेश, पिता स्व. सहदेव (ईट बालू सप्लायर)
- परेश मुखी, पिता अर्कहित मुखी (रुई दुकान)
- महेंद्र ठाकुर, पिता स्व. काली (सैलून)
- पिंटू पुथाल, पिता प्रफुल्ल पुथाल (पान दुकान)
- बासु मंडल, पिता राधानाथ मंडल (टेलर दुकान)
- अजय कुमार उर्फ सतीश, पिता सोमर तुरी (चिकेन दुकान)

लिया गया कि उन्हें दुकानें क्यों मिलनी चाहिए, जिनमें आवंटित की जाएगी, साथ ही उन्हें भी शेष बचे 33 दुकानों में आवंटित की जाएगी।

50 आवेदन में 20 सही मिले, 14 तक मांगी आपत्ति

भालूबासा में टीना दुकान आवंटन प्रक्रिया शुरू

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

भालूबासा में बनी टीना रोड दुकानों के आवंटन के लिए जमा 50 में 20 आवेदन जांच में सही पाये गये हैं। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मोणा ने कहा कि 20 लोग जिन्हें दुकानें आवंटित करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनके नाम को लेकर जिले के किसी भी नागरिक को आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति 13 व 14 अगस्त को कार्यालय अवधि में समाहरणालय परिसर स्थित स्थापना शाखा में आकर दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी संबंधित दावा आपत्तियों की जांच कर 16 अगस्त को सुनवाई के बाद दुकान आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। फिलहाल 20 दुकानें आवंटित की जायेंगी। भालूबासा चौक में सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़ी गयी दुकानों के प्रभावितों को जिला प्रशासन द्वारा दुकानें आवंटित की जायेगी।

इसके लिए कार्यपालक दंडाधिकारी सविता टोपनो के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय टीम जिनमें

इंजीनियर, जुस्को के प्रतिनिधि शामिल थे उन्होंने आवेदनकर्ताओं के घर-घर जाकर कागजातों की जांच पड़ताल की। इस दौरान वीडियो ग्राफी करते हुए स्टेटमेंट लिया गया, साथ ही लिखित बयान लिया गया कि उन्हें दुकानें क्यों आवंटित की जाये, जांच में 20 आवेदन सही पाये गये हैं।

लाभुकों की सूची

ठर्मिला देवी, (सब्जी दुकान), सत्येंद्र रजक, (आंटी किचेन), नरेश मुखी, (मुर्गा दुकान), माडरु मुखी, (चाय-पकौड़ा दुकान), जितेंद्र रजक/ओझा, (इस्त्री दुकान), राजू मुखी, (मुर्गा दुकान), बबलू रजक, (चौमोन दुकान), काजल भट्टाचार्य, (मनिहारी दुकान), ईश्वरी रजक, (भूंजा दुकान), जोटीया मुखी (पान दुकान), कल्लू मुखी, (साउथ इंडियन डिश), पूरन चन्द्र कैवर्त, (मछली दुकान), प्रह्लाद ठाकुर, (शांति निकेतन सैलून), मदन पाल, (साइकिल रिपेयरिंग), गणेश, (ईट बालू सप्लायर), परेश मुखी, (रुई दुकान), महेंद्र ठाकुर, (सैलून), पिंटू पुथाल, (पान दुकान), बासु मंडल, (टेलर दुकान), अजय कुमार उर्फ सतीश, (चिकेन दुकान)

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : [@jharkhandDMA](https://www.facebook.com/jharkhandDMA)